

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,  
होमगार्डस, 30प्र0,  
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग

लखनऊ दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2169/लेखा/दुर्घ0 बीमा-137/2017 (पार्ट) दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इयूटीप्रशिक्षणरत 65011 होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को आगामी एक वर्षके लिए 24 घण्टे सामाजिक दुर्घटना बीमा से कवरेज कराये जाने हेतु रू0 2,34,74,112/- (रूपये दो करोड़ चौतीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ बारह मात्र) एवं 97,944 होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को "वाटर मार्किंग एन्ग्रेव्ड लोगो" बायोमेट्रिक सुविधा, क्यू0आर0 युक्त कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 19,64,757/- (रू0 उन्नीस लाख चौसठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र) अर्थात् कुल रू0 2,54,38,869/- पूर्णांक में रू0 2,54,39,000/- (रू0 दो करोड़ चौवन लाख उन्तालिस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धोंके अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार भुगतान (नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ को) किया जायेगा। उक्त धनराशि आगामी एक वर्ष (बारह कैलेण्डर माह) के प्रीमियम के भुगतान हेतु व्यय की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार बीमा कम्पनी से (Agreement) करार सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त बीमा योजना 'नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 लखनऊ' के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित बीमा कम्पनी होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रू0 5,00,000/-, दो अंगो अथवा दोनों आंखों की पूर्ण रूप से हानि पर रू0 5,00,000/-, एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

.....2.....

से हानि पर रू0 2,50,000/- पूर्ण स्थायी अपंगता यथा (पक्षाघात आदि) पर रू0 5,00,000/- एवं दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के उपरान्त लाश को निवास स्थान तक ले जाने में हुए वास्तविक व्यय की धनराशि बीमा कम्पनी सम्बन्धित होमगार्डस के आश्रित को प्रदान करेगी।

3. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-इयूटीरत होमगार्डस स्वयंसेवकों के बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम की अदायगी 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सत्येन्द्र कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2018/35(1)/पन्चानवे-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार 30प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ।
6. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमि0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, 30प्र0 सचिवालय।
10. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
निर्मला श्रीवास्तव  
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।